# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 57/2016 नामान्तरकरण अपील

1. रामधन पुत्र स्व. श्री रामसहाय
2. रामप्रसाद पुत्र स्व. श्री रामसहाय
3. रामकेश पुत्र स्व. श्री रामसहाय
4. हरकेश पुत्र स्व. श्री रामसहाय
5. भरतलाल पुत्र स्व. श्री रामसहाय

जाति मीना निवासी झापदा छोटी तहसील लालसोट जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. नारायण पुत्र लौहडूराम जाति मीना निवासी झापदा छोटी तहसील लालसोट जिला दौसा
2. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा।
3. श्रीमती सुनीता देवी पत्नि हडपाराम जाति मीना } निवासी झापदा
4. रामनाथ पुत्र जयनारायण जाति मीना } तहसील लालसोट जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व नामान्तरकरण नम्बर 248 दिनांक 31.10.2005
ग्राम झापदा छोटी तहसील लालसोट जिला दौसा

उपस्थिति : श्री मुकुट बिहारी शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: श्री अविनाश नागर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 03 व 04 उपस्थित।

—:निर्णय:— दिनांकः 31.8.2018

(प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति एवं कायम मुकाम)

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी जेर वर्णित नामान्तरकरण अपीलान्ट्स के बडे बाबा काल्या पुत्र गणेश की खातेदारी की भूमि थी। उक्त भूमि पर अपीलान्ट्स के बडे बाबा के जीवन काल से ही अपीलान्ट्स का पिता व अपीलान्ट्स काबिज काशत है। उक्त भूमि से रेस्पोडेन्ट नं. 01 नारायण का कोई सम्बन्ध नही है, किन्तु उसने गुप्त रूप से एब इन इश्यू वाईड व शून्य नामान्तरकरण जेर अपील अपने नाम खुलवा लिया। प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 248 दिनांक 31.10.2005 ग्राम झापदा छोटी तहसील लालसोट जिला दौसा के विरूद्ध यह अपील अपीलान्ट्स द्वारा पेश की गई है।

रेस्पोडेन्ट नं. 03 व 04 की ओर से प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पेश किया गया एवं रेस्पोडेन्ट नं. 01 फौत हो जाने पर अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा प्रार्थना पत्र कायम मुकान पेश किया गया। प्रार्थना पत्र कायम मुकाम एवं प्रारम्भिक आपत्ति पर अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अति० जिला कलक्टर
दौसा

अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 03 व 04 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रेस्पोडेन्ट नं. 01 के कायम मुकाम प्रार्थना पत्र दिनांक 28.07.2017 के अनुसार रेस्पोडेन्ट नं. 01 की पत्नि कल्याणी देवी को केवल मात्र उसकी वारिस व कायम मुकाम होना व्यक्त किया गया है। दूसरी ओर कल्याणी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.10.2017 में प्रार्थियां कल्याणी द्वारा यह निवेदन किया है की प्रार्थिनी के पति ने रामेकश पुत्र रामसहाय मीना को गोद लिया था जो प्रार्थिनी का गोद पुत्र है। प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 248 दिनांक 31.10.2005 के विरूद्ध अपील पेश की गई है। यह नामान्तरकरण मूल खातेदार काल्या के स्थान पर नारायण के पक्ष में तस्दीक किया गया है। अपीलान्ट उक्त नामान्तरकरण में पक्षकार नही है। इसलिए उन्हें अपील करने का कोई अधिकार नही है। अपील करने के लिए अपीलान्ट्स ने न्यायालय से द्वारा 96 सी.पी.सी के तहत अनुमति प्राप्त नही की है। रेस्पोडेन्ट नारायण ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.06.2016 द्वारा वाद ग्रस्त भूमि को रामनाथ पुत्र जयनारायण व श्रीमती सुनीता देवी पत्नि हडपाराम जाति मीना को बेचकर उनका कब्जा करा दिया है और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण सं. 965 दिनांक 30.06.2016 तहसीलदार लालसोट द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तत्पश्चात यह अपील दिनांक 30.09.2016 को पेश की गई है। इस अपील के पैरा नम्बर 4 व 6 में रजिस्टर्ड वसीयत नामा दिनांक 10.03.1992 को फर्जी व कूट–रचित तथा एब इन ईश्यू वाईड बताया गया है। पंजीकृत वसीयत नामा प्रलेख को निरस्त करने व शून्य घोषित करने का अधिकार केवल दीवानी न्यायालय को है। दिनांक 31.10.2005 के नामान्तरकरण के विरूद्ध दिनांक 30.09.2016 को लगभग 11 वर्ष बाद अपील पेश की गई है। नामान्तरकरण सं. 965 दिनांक 30.06.2016 द्वारा यह अपील निष्प्रयोजन, निरर्थक व सुपरसीड हो चुकी है। अपीलान्ट न्यायालय के साथ फरेब व धोखाधडी करके साजिशी तौर पर अपील मंजूर करवाना चाहते है। उक्त नामान्तरकरण सं. 965 के विरूद्ध कोई अपील भी पेश नही की गई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार फरमाते हुए अपील खारिज फरमायी जावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि प्रकरण में नामान्तरकरण सं. 248 इस कारण से खारिज कर दिया गया था की मुताबिक वसीयत नामा कालू पुत्र गणेश कौम मीना है जबकी जमाबन्दी में काल्या पुत्र गणेश इन्द्राज है। जमाबन्दी के इन्द्राज एवं वसीयत नामा के इन्द्राज एक नही है। इस प्रकार जमाबन्दी के अनुसार नारायण के पक्ष में वसीयत करने का अधिकार कालू पुत्र गणेश को नही था। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 03 व 04 द्वारा प्रश्नगत भूमि को नारायण से क्रय किया जाना व्यक्त किया गया है। जबकी रेस्पोडेन्ट नं. 01 नारायण को उक्त भूमि विक्रय करने का कोई अधिकार नही था। रेस्पोडेन्ट नं. 01 ने फर्जी वसीयत तैयार कर आराजी वर्णित नामान्तरकरण को हडपने का प्रयास किया है। रेस्पोडेन्ट नं. 01 नारायण पुत्र लोहड्या है। रेस्पोडेन्ट नं. 01 कोई छोटू का पुत्र नही है। उक्त नामान्तरकरण पूर्व में तहसीलदार लालसोट के समक्ष अपीलान्ट के पीछे से भरवाकर पेश किया गया था। जिसे तहसीलदार ने 05.06.1997 को खारिज कर दिया। जिस पर रेस्पोडेन्ट ने माननीय न्यायालय में

अति० जिला कलक्टर
दौसा

अपीलान्ट के पीछे से गुप्तरूप में अपील करके माननीय न्यायालय से नामान्तरकरण को रिमाण्ड करवाया था। किन्तु तहसीलदार द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय (रिमाण्ड) दिनांक 13.10.2000 के खिलाफ उक्त नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया। तहसीलदार को नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व यह देखना आवश्यक था कि उक्त भूमि का खातेदार कौन था। जिस तथाकथित वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण के आधार पर कार्यवाही की जा रही है वह किस व्यक्ति के हक में है। वसीयत तो नारायण पुत्र छोटू की बतलाई गयी हैं, नामान्तरकरण नारायण पुत्र लोहडूराम के हक में तस्दीक किया गया है। इस प्रकार जब नामान्तरकरण पूर्व से ही विवादित है एवं रेस्पोडेन्ट नं. 01 को प्रश्नगत भूमि को विक्रय करने का अधिकार ही नही है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं. 03 व 04 को किया गया भूमि का बेचान भी अवैध है। अतः प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति खारिज फरमाई जावे। प्रार्थना पत्र कायम मुकाम के सम्बन्ध में अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया की रेस्पोडेन्ट नं. 01 नारायण की पत्नि कल्याणी है एवं इनके द्वारा रामकेश पुत्र रामसहाय मीना को गोद लिया गया है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट नं. 01 के वारिसान कल्याणी एवं रामकेश है।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रश्नगत मूल नामान्तरकरण सं. 248 वसीयत नामा के आधार रेस्पोडेन्ट नं. 01 के नाम तस्दीक किया गया है। अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 248 रिमाण्ड होकर दिनांक 31.10.2005 को रेस्पोडेन्ट नं. 01 के नाम स्वीकार किया गया है। रिमाण्ड नामान्तरकरण की अपील की सुनवाई एवं मृतक खातेदार के वारिसान का निर्धारण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है। प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति का अवलोकन करने एवं अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 03 व 04 द्वारा प्रस्तुत तथ्यो पर मनन करने पर प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है। अपीलान्ट्स द्वारा अपने हक व अधिकार के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर रेस्पोडेन्ट नं. 03 व 04 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार किया जाता हैं, जिसके परिपेक्ष्य में अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील भी खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

( राजवीर सिंह चौधरी )
अति0 जिला कलक्टर
दौसा

निर्णय आज दिनांक 31.8.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

( राजवीर सिंह चौधरी )
अति0 जिला कलक्टर
दौसा